

## कार्यालय, चास नगर परिषद

चास (बोकारो)

पत्रांक 115

दिनांक ०१/०५/२०१३

सेवा मे


श्री..... राजेश्वर प्रसाद साह  
 पिता..... ८९० राम नाल साह  
 पता..... जामुना बड़ा

विषय :- मौजा नं. जामुना ५३ के खाता नं. १०२ प्लॉट नं. १२२० रक्षा २१<sup>३</sup>/<sub>४</sub> ८७०  
 डीसमील पर आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आपका आवेदन दिनांक २६-४-१३  
 गृह प्लॉन केश नं. बी० सी० ५७/२०१३-१४

महाशय,

निदशानुसार सूचित करना है कि उपर्युक्त विषय वर्णित भू-खण्ड पर गृह निर्माण की स्वीकृति दिनांक ८६-६-१३ को अधोलिखित शर्तों के साथ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा - 427 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

01. प्रस्तावित भवन का निर्माण प्रारम्भ करने के एक सप्ताह पूर्व कार्य प्रारम्भ करने की सूचना विहित प्रपत्र में भरकर अधोहस्ताक्षरी को देना है। लिंथ लेबल तक कार्य हो जाने के पश्चात उसकी फोटोग्राफ कार्यालय में जमा करना होगा।
  02. प्रस्तावित गृह का निर्माण कार्य अनुज्ञापिधारी की देख-रेख में करायी जाय, ताकि वे समय-समय पर निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दे सके।
  03. प्रस्तावित गृह का निर्माण इस पत्र की प्राप्ति के दो वर्षों के अन्दर पूरा कर उसकी सूचना कार्यालय को अवश्य दे।
  04. गृह निर्माण पूर्ण रूपेण स्वीकृत नक्शे के अनुसार की करना है।
  05. डेनेज की व्यवस्था स्वीकृत नक्शे के अनुरूप करायी जाय एवं नाली को मुख्य नाली से मिलावें।
  06. गृह निर्माण का निरीक्षण नगर परिषद के किसी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय दिन में किया जा सकता है तथा नक्शे के प्रतिकुल पाए गए निर्माण को नियमानुसार तोड़वाया जायेगा और साथ ही दंड के भागी होगे।
  07. वाटर हारेस्टिंग हेतु सॉकपिट का निर्माण करावें।
  08. पर्यावरण सुरक्षा हेतु कम से कम तीन वृक्ष लगावें।
  09. इस नक्शे की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि राज्य सरकार के अधीन कोई नवीनतम नियमावली / रा० भ० स० में निहित मार्गदर्शिका का अनुपालन सख्ती से हो तथा कोई उल्लंघन न हो।
  10. नक्शा की स्वीकृति भूमि स्वामित्व का प्रमाण नहीं होगी।
  11. भवन निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व श्रम निवधन कराते हुए झारखण्ड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लिए चुनौतम लागत (रु० ८००/- प्रति वर्गफीट की दर से) का 1% प्रतिशत उपकर जमा करने की जिम्मेदारी आपकी होगी।
  12. G+3 से अधिक भवन निर्माण का ले-आऊट के पूर्व सक्षम एजेन्सी से Soil Bearing Capacity Test कराते हुए उसकी एक प्रति नगर परिषद को अवश्य समर्पित करें।
- अनु० :- यथोपरि

  
कार्यपालक पदाधिकारी

चास नगर परिषद।

झापक ..... / दिनांक ..... /

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्षा/उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ अग्रसारित एवं सहायक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी  
चास नगर परिषद।



REDMI NOTE 5 PRO  
MI DUAL CAMERA